"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 183] रायपुर, शनिवार, दिनांक 1 जुलाई 2006—आषाढ़ 10, शक 1928

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/11/2005/वाक/पांच (61).—चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन 01-07-2006 से 31-03-2007 तक कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र.	वस्तुओं की श्रेणी	छूट की सीमा	निर्बंधन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (ग्यारह) में वर्णित स्टील पाईप.	अशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 2 प्रतिशत हो जाए.	जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित एवं विक्रित हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2006

क्रमांक एफ-10/11/2005/वाक/पांच (61).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/11/2005/वाक/पांच (61), दिनांक 1-7-2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 1st July 2006

NOTIFICATION

No. F-10/11/2005/CT/V (61).— Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest.

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, on the fulfilment of the requirements laid down in sub-section (4), exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3) from 01-07-2006 to 31-03-2007 subject to the restrictions and conditions specified in column (4) of the said Schedule :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (4)
1.	Steel Tubes as specified in category (xi) of clause (iv) of section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax to 2 percent.	When manufactured and sold by an industrial unit situated in Chhattisgarh state.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.